न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बामनवास जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी सुश्री प्रियंका कड़ेला आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर – 59/2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. अजरजकँवर पुत्र कजोड़सिंह जाति राजपूत
2. खेमसिंह पुत्र कमलसिंह जाति राजपूत
3. तुलसा पत्नि भोरया जाति नाई
4. पप्पूलाल पुत्र भोरया जाति नाई
5. पपीता पत्नि मुकेश जाति मीना
6. प्रेमबाई पुत्री हजारी जाति नाई
7. भवानीसिंह पुत्र कजोड़सिंह जाति राजपूत
8. मंगी पुत्री भोरया जाति नाई
9. योगेन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह जाति राजपूत
10. ललिता पुत्री भोरया जाति नाई
11. विक्रमसिंह पुत्र कजोड़सिंह जाति राजपूत
12. विजय सिंह पुत्र कमल सिंह जाति राजपूत
13. विष्णु पुत्र भोरया जाति नाई
14. सूरज पुत्र भोरया जाति नाई
15. सरोज पुत्री भोरया जाति नाई
16. सियारानी पुत्री कजोड़सिंह जाति राजपूत सभी निवासी मोरपा तहसील बरनाला
17. विशालसिंह पुत्र लालबहादुरसिंह जाति राजपूत सा. कैलादेवी कालोनी गंगापुर सिटी
18. सौरभसिंह पुत्र लालबहादुरसिंह जाति राजपूत सा. कैलादेवी कालोनी गंगापुर सिटी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बरनाला

–अप्रार्थी

वकील प्रार्थी – श्री लक्ष्मीकांत शर्मा एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 29.4.26

प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 105 रकबा 0.33 है0, 112 रकबा 0.79 है0 स्थित ग्राम मोरपा तहसील बरनाला [illegible] खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसका प्रार्थीगण ही उपयोग [illegible] सरकारी लगान अदा करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 0.33 है0, 112 रकबा 0.79 है0 से प्रार्थीगण के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का कोई संबंध या ताल्लुक, वास्ता नहीं है। प्रार्थीगण की भूमि उक्त आराजी भूमि से अन्य किसी दीगर व्यक्ति का उपरोक्त भूमि से कोई संबंध या वास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को अपनी उक्त भूमि की डौल मेड़ के संबंध में पड़ौसी खातेदारों से आये दिन विवादों का समाना करना पड़ता है तथा पड़ौसी खातेदार प्रार्थीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:13:45 IST
Reason: SelfAttested

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स0मा0)

Scanned with CamScanner

डौल मेड़ को ध्वस्त करके प्रार्थीगण की भूमि को दबाने की नीयत रखते है। आये दिन पड़ौसी खातेदारों से होने वाले विवादों के दृष्ट्रिगत प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के मद संख्या 02 में वर्णित अपनी आराजीयात का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है जिससे कि प्रार्थीगण को अपनी ही भूमि के संबंध में किसी प्रकार की परेशानीयों का सामना न करना पड़े। अनावश्यक विवादों से बचने कि लिए पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस संबंध में प्रार्थीगण ने दिनांक 30.05.2025 को तहसीलदार बरनाला से पत्थरगढी कराने हेतु निवेदन किया, किन्तु उन्होंने श्रीमानजी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर उचित आदेश लाने हेतु कहा है, इसलिये यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार बरनाला को आदेश दिया जावे कि वह टीम गठित कर आराजी हाल खसरा नम्बर 105 रकबा 0.33 है0, 112 रकबा 0.79 है0 स्थित ग्राम मोरपा तहसील बरनाला की पत्थरगढी मय पुलिस जाप्ते के करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी की और से अपने खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 ग्राम मोरपा पटवार मण्डल मोरपा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र बाटोदा तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 105 रकबा 0.33 है0, 112 रकबा 0.79 है0 स्थित ग्राम मोरपा तहसील बरनाला स्थित भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। हमारे द्वारा बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम मोरपा पटवार मण्डल मोरपा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र बाटोदा तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 105 रकबा 0.33 है0, 112 रकबा 0.79 है0 स्थित ग्राम मोरपा तहसील बरनाला भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0 निरीक्षक बाटोदा को 1000/– रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक बाटोदा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी [illegible] बरनाला को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.[illegible] जाकर कोर्ट मुख्यालयपर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:13:45 IST
Reason: SelfAttested

(प्रियंका करेला)
उपजिला कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास (स०मा०)
बामनवास

Scanned with CamScanner